

विचार बिन्दु

कुटुंब की चिंता से परेशां व्यक्ति की कुलीनता, शील और गुण कच्चे घड़े में रखे पानी की तरह है। –संस्कृत सूक्ति

एसआईआर के सम्बन्ध में चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व तथा इस प्रक्रिया को कार्यान्वित करने वालों का कर्त्तव्य

देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सफलता शुद्ध नृटिहीन मतदाता सूची पर निर्भर है। भारत के संविधान में चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है। संवैधानिक के अनुच्छेद 324 में संसदों और विधायकों के संवैधानिक पदों पर निर्वाचन के लिये मतदाता सूची को तैयार करने व निर्वाचन को संचालित करने, निर्देशन और नियंत्रण का पूर्ण अधिकार/कर्त्तव्य दिया है। अनुच्छेद 326 में यह स्पष्ट कर दिया है कि मतदान करने का अधिकार केवल नागरिकों को दिया है।

एसआईआर की सम्पूर्ण प्रक्रिया बिहार में पूरी हो चुकी है और बिहार के चुनाव भी शान्ति के साथ पूरे हो चुके हैं। फिर भी एसआईआर के विषय में उसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस चल रही है। हॉ सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने बहस के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चुनावों की असंगति को कोई शिकायत अभी तक किसी भी मतदाता ने या याचिकाओं के प्रार्थियों ने चुनाव आयोग के समक्ष अथवा चुनाव याचिका के माध्यम से पेश नहीं की है।

देश में सभी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। इसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकायें पेश हो चुकी हैं। इन सब में वही कानूनी बिन्दु उठाये गये हैं जो बिहार के केस में थे। यह भी सत्य है कि नई याचिकाओं में वैधता की चुनौती के अतिरिक्त कर्मचारियों की कार्यशैली की कई शिकायतें पाई गई हैं। कई बीएलओ की हार्ट अटेक से मौतें भी हुई हैं और कुछ कर्मचारियों ने वर्कलोड को लेकर आत्महत्या की है, कुछ व्यक्ति कार्य के बोझ से मानसिक रूप से पीडित बतलाये गये हैं।

बिहार की याचिकाओं में जो कानूनी प्रश्न उनकी वैधताओं के बाबत उठाये थे वे भी पुनः नये केसों में उठाये गये हैं। यह प्रश्न उठाया गया है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है अतः उसके कार्य के सम्बन्ध में Judicial Review नहीं हो सकता तथा स्पेशल रेफरेन्स केस में जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर के अधिकारों को लेकर, प्रश्नों द्वारा उनकी समीक्षा चाही थी उस केस के आदेश/उत्तर में माननीय कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गवर्नर का पद संवैधानिक पद है और इनके निर्णय जुडिशियल रिव्यू से परे है।

एसआईआर का विवाद कोर्ट में है, यही विवाद सडकों पर भी जुलूस व नारों के रूप में देखा जा सकता है तथा संसद में भी वर्तमान सत्र में सुनने को मिला है। न्यूज पेपर भी ऐसे विवाद की चर्चाओं से भरे हुये हैं।

शीघ्र निर्णय की प्रतीक्षा में जनता तमाशा देख रही है। समय-2 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश ऐसे दिये हैं उनसे राहत अवश्यक मिली है। इस समस्या का हल सुप्रीम कोर्ट को ही निकालना है। राहत का यह कार्य माननीय कोर्ट निर्णय, आदेश व निर्देशनों के माध्यम से कर रही है।

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है उसे चुनावों के सम्बन्ध सम्पूर्ण अधिकार व दायित्व दिये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका विशद उल्लेख है तथा अनुच्छेद 324(6) में यह व्यवस्था है कि जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल निर्वाचक आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उनके कर्मचारी वृन्द उपलब्ध करायेगा जितने अनुच्छेद 324 के खण्ड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंप गये कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक है। विधानसभा के चुनाव कराने के हेतु राज्यपाल यह कार्य उनकी सरकार के माध्यम से कराते हैं। इस प्रकार एसआईआर की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने क हेतु राज्य सरकार अथवा इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजे गये राज्य कर्मचारी (बीएलओ) हैं, जिनकी डयूटी है कि वे अपने कर्त्तव्य का निर्वाहन करें।

सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ, जो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त व न्यायाधीश जॉय माय्या से गठित है, उसने तमिलाना कज़म बनाम राज्यपाल कमीशन ऑफ इण्डिया व अन्य के केस WP(C) NO.1157/2025 में बीएलओ द्वारा डयूटी के सम्बन्ध उठाई गई दिक्कतों के सम्बन्ध में कुछ निर्देशन दिये हैं वे महत्वपूर्ण हैं और उचित कदम उनके निराकरण के हेतु राज्य सरकार/चुनाव आयोग को उठाते ही चाहिये। वे अन्तरिम निर्देशन हैं, क्योंकि अन्तिम निर्णय तो बहस पूरी सुनने के बाद ही दिये जावेंगे। माननीय खण्डपीठ ने जो अन्तरिम निर्देशन दिये हैं वे वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं:-

संविधान के अनुच्छेद भारत के नागरिक को वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान का अधिकार है। अतः बांग्लादेश से अथवा म्यांमार से भारत में आये हुये व्यक्ति मतदान का अधिकार क्लेम नहीं कर सकते, आधार कार्ड, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ऐसे कई प्रश्न हैं, जिनका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना है।

बंगाल एसआईआर का प्रथम चरण लगभग पूरा हो चुका है।

पर नये कर्मचारी को नहीं लगाया है तो वह व्यक्ति यह अर्थ नहीं लायेगा कि उसे अधिकारी ने पंजीकृत कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशन में यह स्पष्ट कहा है कि राज्य को कर्मचारी को डयूटी पर लगाना वैधानिक कर्त्तव्य है और राज्य की यह भी डयूटी है कि चुनाव के कार्य को पूरा करने के हेतु कर्मचारियों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी करे।

(3) मननीय कोर्ट ने यह भी माना है कि जिन व्यक्तियों (कर्मचारियों) की मृत्यु नैकरी के समय एसआईआर प्रक्रिया के निर्वहन के समय हुई है, उन्हें क्या हजाना मिलेगा, इस बाबत तत्सम्बन्धित व्यक्ति (Aggrieved person) अथवा पिटीशनर बाद में प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं।

(4) पिटीशनर TVK के वरिष्ठ एडवोकेट ने कोर्ट के समक्ष चिन्ता व्यक्त की कि ऐसे बीएलओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही धारा 32 आर पी एक्ट के तहत की जा रही है जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया की समुचित ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है, इन्हें प्रकाश बीएलओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना Coercive Action है। कई उदाहरणों के द्वारा अपनी बात को रखते हुये सुयोग अधिवक्ता ने कहा कि यह बीएलओ ने छुट्टी के हेतु प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी शादी होने वाली है, उसे निलम्बित कर दिया गया और निराशा की स्थिति में उस कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। खण्डपीठ ने कुछ ही शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। कोर्ट का इशारा था कि दण्डात्मक कार्य भी ऐसी परिस्थितियों में अमानवीय है, नक्षम अधिकारी में मानवीय संवेदना तो होनी चाहिए, उसे ऐसा करने से गुरेज करना चाहिए।

(5) मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने कहा कि यह सच है चुनाव आयोग स्वयं कार्य नहीं कर सकता और यही कारण है उसे राज्य के कर्मचारियों से यह काम कराना होता है, अतः राज्य को अपने कर्त्तव्यों की पालना करनी है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कोई कठिनाई है तो उसे डयूटी से छूट दी जानी चाहिये। एसआईआर रजिस्ट्रार कैसे की जा सकती है? विलम्ब हो सकता है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा जल्दी क्या है?

चुनाव आयोग के वरिष्ठ एडवोकेट मनीन्द्र सिंह ने कहा कि तामिलनाडु में 90: फॉर्म दिये जा चुके हैं तथा क्रिमिनल प्रक्रिया उसी स्थिति में चालू की है जहां बीएलओ ने जान-बूझकर अपनी डयूटी देने से मना किया था।

ये कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने दिये हैं। आशा है भविष्य में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होगी और एसआईआर की प्रक्रिया मानवीय संवेदना के साथ संवैधानिक व चुनाव कानून के अनुसार पूरी की जावेगी।

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और सभी नागरिकों का पावन कर्त्तव्य है कि वे अनुच्छेद 51क(क) में दिये गये मूल कर्त्तव्यों के अनुसार उसकी करें। एसआईआर की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार सम्पन्न कराना चुनाव आयोग का संविधान कर्त्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद भारत के नागरिक को वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान का अधिकार है। अतः बांग्लादेश से अथवा म्यांमार से भारत में आये हुये व्यक्ति मतदान का अधिकार क्लेम नहीं कर सकते, आधार कार्ड, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ऐसे कई प्रश्न हैं, जिनका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना है। बंगाल एसआईआर का प्रथम चरण लगभग पूरा हो चुका है। 7.6 करोड़ मतदाताओं के नामों का डिजिटिकरण हो चुका है। 28 से 30 लाख मतदाता को सक्षम अधिकारी के समक्ष साबित करना होगा उन्हें मतदान का अधिकार है जबकि उनके नाम के प्रमाण 2002 की मतदाता सूची से मेल नहीं खाते। इन्हें नोटिस दिये जा चुके हैं। 5.4 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं है, वे मृतक भी हो सकते हैं अथवा कई डुप्लीकेट नाम हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी बंगाल के बीएलओ के साथ असहयोग करने वालों के विरुद्ध सख्त अभिव्यक्ति की है और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि हालात बिगड़े तो संविधान चुनाव आयोग को अधिकार देता है कि राज्य पुलिस को अपने अधिकार में ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट देशभर में होने वाली एसआईआर प्रक्रिया पर विचार कर रही है। चुनावों व एसआईआर पर बहस भी संसद में पूरी हो चुकी है।

W.P.(C) No.000640/2025 में दिनांक 10.12.2025 की बहस में कई प्रश्न उठाये गये। खण्डपीठ ने स्वयं भी कई प्रश्न उठाये हैं, बहस चल रही है।

आईये सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा करें तथा चुनाव सुधारों पर देश भर में चर्चा हो, नया चुनाव सुधार कानून बने और देश तीसरी शक्ति बनकर अपनी छवि संसार के समक्ष पेश करे।

सबको सम्मति दे भगवान।

–अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द्र जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



सुनील दत्त गोयल

भारत की सड़कों पर आज एक खतरनाक लेकिन मौन युद्ध चल रहा है—अहंकार और संवेदना का, रफ्तार और जीवन का। रोजाना सैकड़ों दुर्घटनाएँ, हजारों जानें और अनगिनत परिवार, इस नए सड़क-संस्कृति के शिकार बन रहे हैं। भारी-भरकम एसयूवी –आर्मांडा, आर्मांडा प्रैंड, स्क्वॉपियो, बोलेरो, और नई पीढ़ी की अत्यंत लोकप्रिय एसयूवी ‘थार’ – अब सिर्फ गाड़ियाँ नहीं रही; वे सामाजिक सत्ता और सड़क पर प्रभुत्व का प्रतीक बन चुकी हैं। समस्या वाहन की क्षमता नहीं है। समस्या उस मानसिकता की है, जो यह मान बैठी है कि ताकतवर गाड़ी का मतलब ताकतवर अधिकार है।

एसयूवी में बैठते ही कई लोग एक झुटी श्रेष्ठता महसूस करने लगते हैं— मानो सड़क उनकी निजी जागीर हो और कानून बाकी दुनिया के लिए लिखा गया हो। यह मानसिकता ही दुर्घटनाओं को ‘हादसा’ नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें ‘अपराध’ में बदल देती है।

गाड़ी की ताकत नहीं, चालक की सोच खतरनाक है। भारत में यह भ्रम तेजी से फैल रहा है कि बड़ी गाड़ी का मतलब बड़ी हैसियत है। लेकिन सच्चाई ठीक उलट है। अमेरिका जैसे देशों में हमर जैसी सैन्य स्तर की एसयूवी सड़कों पर सहज रूप से चलती हैं, लेकिन उनकी संस्कृति यह सिखाती है कि वाहन जितना शक्तिशाली होगा, उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी होगी। वहीं भारत में यही शक्ति कई बार अहंकार का आधार बन जाती है। चालक समझता है कि वाहन की मजबूती उसे कानून से भी ऊपर उठा देती है।



राजेन्द्र जोशी

राजस्थान में इन दिनों प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया जा रहा है। उनके लिए राजस्थान ने प्रदेश में प्रवासी राजस्थानी दिवस निर्धारित किया गया है। और यह आवाह्न किया है कि आप अपने प्रदेश में निवेश कर रोजगार के अवसर पैदा कर विकास में योगदान दें। देश-विदेश में रहने वाले राजस्थानी भी अपनी माटी की ओर आने को आतुर हैं, प्रवासी राजस्थानी जब अपनी माटी की ओर

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025



पंडित अनिल शर्मा

वृश्चिक, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज शुक्र वृद्धत्व आरम्भ प्रातः 8:00 पर होगा। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:28 तक, लाभ-अमृत 8:28 से 11:03 तक, शुभ 12:20 से 1:38 तक, चर 4:18 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:10, सूर्यास्त 5:30 तक

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

राशि